पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ की प्रार्थी की ओर
से पूर्व में प्रार्थना पत्र 023 R। सपठित धारा
151 CPC पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान
के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा
हो चुका है इसलिए पक्षकारान प्रार्थना पत्र
को आगे चलाना नहीं चाहते है। प्रार्थी का
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की

और से प्रस्तुत विचाराधीन प्रार्थना पत्र
को जरिये विज्ञ खारिज किया जाता है
पत्रावली कैमल कुमार होकर दाखिल
दफ्तर हो।